न्यूज़ टुडे

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) की सदस्यता का सार्वभौमिकरण

- हाल ही में **ISA समझौते में एक संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों को इस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है।**
  - इससे पूर्व, केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित सौर संसाधन–संपन्न देश ही इस गठबंधन की सदस्यता के पात्र थे।

ISA के बारे में

- यह **वर्ष 2016 के पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Accord)** के तहत गठित एक बहुपक्षीय मंच है।
- **इसके लक्ष्य हैं:**
  - कार्बन फुटप्रिंट के स्तर को कम करने के लिए **सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना** और देशों को पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों, विशेषकर जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर होने में सहायता प्रदान करना।
  - **जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना** और इस गठबंधन के सदस्य देशों के मध्य विचारों, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के आदान–प्रदान के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान करना।
  - ज़रूरतमंद सदस्य देशों को **सौर प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना और उन तक पहुंच प्रदान करना।**
- इसे **भारत और फ्रांस** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था तथा वर्तमान में 87 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 67 देशों ने इसकी अभिपुष्टि (ratification) की है।
  - निकारागुआ (एक मध्य अमेरिकी देश) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वाँ देश है।
- **मुख्यालय:** गुरुग्राम, भारत।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) ने कोविड–19 के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं को सुनिश्चित किया

- eVIN, स्वदेशी रूप से विकसित एक तकनीकी समाधान है। इसका उद्देश्य **वैक्सीन के भंडार और बाजार में उपलब्धता के बारे वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान करके सार्वभौमिक टीकाकरण को सुदृढ़ करना** है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **प्रौद्योगिकी:** इससे साक्ष्य–आधारित निर्णय–निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **गवर्नेंस (अभिशासन):** इससे वैक्सीन से संबंधित प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
  - **मानव संसाधन:** इससे सरकारी कोल्ड चेन प्रबंधकों का क्षमता निर्माण कर राज्य कोल्ड चेन नेटवर्क को सशक्त बनाने में सहायता मिलती है।
- eVIN से एक वृहद डेटा आर्किटेक्चर निर्मित करने में मदद मिली है। इससे आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने और खपत के आधार पर योजना बनाने हेतु क्रियात्मक विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार, इससे लागत को कम करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
  - इसके अतिरिक्त, यह किसी भी नए टीके के लिए लाभ प्राप्त करने की क्षमता भी प्रदान करता है।
- वर्तमान में, eVIN ने **32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख तथा सिक्किम शेष हैं) तक पहुंच स्थापित कर ली है।
  - वर्तमान में, 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट्स नियमित रूप से eVIN का उपयोग करते हैं।
  - अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर 24X7 टीका की उपलब्धता बढ़कर 99% हो गई है।
- वर्तमान में, कई राज्य, राज्य–विशिष्ट कोविड–19 सामग्री की आपूर्ति पर निगरानी रखने, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और 81 आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की कमी होने पर अलर्ट जारी करने के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन दर (adherence rate) के साथ eVIN एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार लघु व्यवसायों की सहायता हेतु 'सूक्ष्म वित्त संस्थानों' (Micro Finance Institutions: MFIs) को सक्षम करने के लिए कार्य कर रही है

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने कहा है कि सरकार लघु व्यवसायों के लिए भी MFI फंड को सुनिश्चित करने की नीति पर कार्य कर रही है।
  - इसका उद्देश्य **बाजार में तरलता को बढ़ावा देना** है, जिससे रोजगार की अधिक संभावनाएं सृजित होंगी और ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी।
  - इससे वर्तमान में देश में तरलता संकट के कारण अधिक तनाव से ग्रसित **बैंकिंग प्रणाली और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) पर दबाव को कम करने में सहायता** प्राप्त होगी।
- **MFIs** वस्तुतः अल्प आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन हैं। ये अपने ग्राहकों को सूक्ष्म ऋण; बचत संग्रह; फंड प्रेषण; पेंशन या बीमा आदि सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- सूक्ष्म वित्त संस्थान NBFCs, सोसायटी, ट्रस्ट या सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।
  - वर्ष 1974 में अहमदाबाद में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत MFI **'सेल्फ एम्पलॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA)** है।
- **MFIs के लाभ:** ऋण तक आसान पहुंच, वित्त–पोषण से वंचित समाजिक समूहों को सेवा, रोजगार के अवसरों का सृजन, बेहतर क्रेडिट प्रबंधन प्रणालियाँ, संपार्श्विक (collaterals) की अनुपस्थिति आदि।
- **MFIs के समक्ष चुनौतियां:** वित्तीय निरक्षरता, उधारकर्ताओं के मध्य सूचना का अभाव, धन सृजन में असमर्थता, वित्त–पोषण के लिए बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता, क्षेत्रीय असंतुलन आदि।

रक्षा मंत्रालय ने "रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति (Defence Production and Export Promotion Policy: DPEPP) 2020" का मसौदा जारी किया

- DPEPP वस्तुतः एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह आत्मनिर्भरता और निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रित, संरचित (structured) और ठोस सहायता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  - उल्लेखनीय है कि, कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग 60% है।

उद्देश्य

- वर्ष 2025 तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों तथा सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात सहित **1,75,000 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करना।**
- एक **गतिशील, सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग** विकसित करना।
- आयातों पर निर्भरता को कम करना।
- **रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना** और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना।
- एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता हो, नवाचार को बल प्रदान करता हो तथा भारतीय बौद्धिक संपदा स्वामित्व का निर्माण करता हो।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस मसौदे में घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु **आयात के लिए हथियारों या प्लेटफॉर्म्स की नकारात्मक सूची** का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया है।
  - इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में इसके लिए 'रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure), 2020' का मसौदा जारी किया है।
- इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के सृजन और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति** के प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ऑर्डिनेस फैक्टरी बोर्डों को निर्यात के माध्यम से कम से कम 25% राजस्व जुटाना अनिवार्य होगा।
- **अनुज्ञापित उत्पादन (licensed production) से आगे बढ़कर** डिज़ाइन (अभिकल्पना), डेवेलप (विकास) और प्रोड्यूस (उत्पादन) मॉडल को अपनाया जाएगा।

कुछ विशेष श्रेणी की परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife: NBWL) की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं

- रेलवे परियोजनाओं, 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में निर्माण से संबद्ध लघु स्तर के विकास कार्यों, और 25 मेगावाट से कम क्षमता के जलविद्युत संयंत्रों को NBWL से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही वे राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones: ESZs) के भीतर स्थित हों।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 {Wild Life (Protection) Act, 1972} के प्रावधानों के अनुसार, एक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी भी गैर–वानिकी गतिविधि के लिए NBWL की स्थायी समिति से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  - **NBWL** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक **सांविधिक निकाय** है। यह वनों के संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas: PA) या ESZ में संभावित अतिक्रमण करने वाली औद्योगिक परियोजनाओं, सड़क डायवर्जन या अन्य निर्माण कार्यों के बारे में न्यायनिर्णय (adjudicate) करता है।
  - **NBWL की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं** तथा इसकी स्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं।
- **ESZs या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र (Ecologically Fragile Areas: EFAs)** संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 कि.मी. के दायरे में अवस्थित क्षेत्र हैं।
  - इसे **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 {Environment (Protection) Act, 1986}** तथा वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 (Wildlife Conservation Strategy, 2002) के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, संवेदनशील गलियारों, निकटवर्ती संलग्न क्षेत्रों और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य भूखंडों यानी 10 कि.मी. से आगे के क्षेत्र को भी ESZ में शामिल किया जा सकता है।

अन्य सुर्खियाँ

स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की पृथ्वी पर वापसी (SpaceX Dragon Capsule return to Earth surface)	○ यह स्पेसएक्स (एक निजी कंपनी) का एक अंतरिक्ष यान है, जो **अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा (orbit) तक ले जाने और वापस लाने में सक्षम** है। ○ फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर नासा (NASA) के दो अंतरिक्ष यात्रियों को पहुँचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ○ यह नासा के **वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम** (Commercial Crew Program: CCP) का एक भाग है। ➢ CCP का लक्ष्य ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वापस लाने के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान विकसित करना है।
कोविशिल्ड (Covishield)	○ भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India: DCGI) ने भारत में कोविशिल्ड के चरण **II + III का नैदानिक परीक्षण (clinical trials) संचालित करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे** को स्वीकृति प्रदान की है। ○ **ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी** तथा **एस्ट्रा ज़ेनेका** (Oxford University and AstraZeneca) द्वारा कोविशिल्ड का विकास किया जा रहा है। ○ वर्तमान में, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) के कोवाक्सिन (Covaxin) और जाइडस कैडिला के जाइकोव–डी (ZyCoV-D) जैसे अन्य टीके भी परीक्षण के चरण में हैं।
प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)}	○ हाल ही में, PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। ➢ PMJDY के तहत सर्वाधिक खाते **उत्तर प्रदेश** (6.69 करोड़) में खोले गए हैं। इसके पश्चात् बिहार (4.63 करोड़) का स्थान है। ○ वर्ष 2014 में **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** के तहत PMJDY का शुभारंभ किया गया था। शुरू में इसे 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था। ➢ बाद में इस कार्यक्रम का **वर्ष 2018 से आगे की अवधि के लिए विस्तार किया गया। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक घर के बजाए प्रत्येक वयस्क व्यक्ति** के लिए खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ○ PMJDY के तहत खोले गए खातों (बचत खाता) के लिए रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है।
विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020–21 का शुभारंभ (Vidyarthi Vigyan Manthan 2020&21 launched)	○ यह कार्यक्रम **कक्षा छह से 11वीं तक** के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई एक पहल है। ○ इसे विज्ञान में रुचि रखने वाले **प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने के लिए** शुरू किया गया है। ○ **प्रारंभकर्त्ता:** यह विजन भारती (VIBHA), विज्ञान प्रसार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक पहल है।
वाणिज्यिक कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश {Foreign Direct Investment (FDI) in Commercial Coal Mining}	○ केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट किया है कि **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की किसी इकाई** से वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी FDI को सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही अनुमति प्रदान की जाएगी। ○ वर्तमान में, कोयला खनन गतिविधियों (संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना सहित) में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति प्राप्त है। ➢ इसके अंतर्गत, निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन का मार्ग प्रशस्त करने और भारत में निवेश करने के लिए वैश्विक खनिकों को आकर्षित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
महिला उद्यमिता और सशक्तीकरण {Women Entrepreneurship and Empowerment (WEE)}	○ **IIT दिल्ली** द्वारा प्रारंभ की गई तथा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा समर्थित **यह अपनी तरह की भारत की पहली सामाजिक, राष्ट्रीय पहल** है। ○ इसका उद्देश्य **देश में महिला उद्यमिता को बल प्रदान करना** और एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है जो महिलाओं द्वारा ऐसे उद्यमों के सृजन तथा आजीविका को सक्षम बनाता है। ○ इसके द्वारा कॉलेज जाने वाली छात्राओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणियों तक की महिलाओं के लिए उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य व संतोषप्रद करियर विकल्प के रूप में अपनाने में सहायता प्रदान की जाएगी। ○ यह **संपूर्ण भारत की महिला उद्यमियों को उनके उत्पादों के लिए संभावित निवेशकों और क्रेताओं से जोड़ती है,** ताकि वे अपने व्यवसाय के विचार को वित्तीय रूप से स्थायी उद्यम में परिवर्तित कर सकें।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC